



अंत्योदय सरल



अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना

पात्रता

1. हरियाणा का स्थायी निवासी ।
2. पारिवारिक वार्षिक आय रु0 4 लाख से अधिक ना हो ।
3. अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/समाज के अन्य वर्ग ।
4. यह मेरिट आधारित योजना है ।

लाभ

मैट्रिक अथवा 10+2 अथवा स्नातक कक्षाओं में विहित अंक प्राप्त करने वाले और उच्चतर कक्षाओं में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्गों के छात्रों को वर्गीकृत प्रोत्साहन रु0 8000/- प्रति वर्ष से रु0 12000/- प्रति उपलब्ध है।

आवश्यक दस्तावेज़

1. पहचान/नागरिकता का सबूत (कोई एक)
 - आधार कार्ड
 - पहचान पत्र
 - पासपोर्ट
 - चालान अनुज्ञप्ति
2. आयु का सबूत (कोई एक)
 - जन्म प्रमाण-पत्र
 - मैट्रिकूलेशन प्रमाण-पत्र
3. निवास सबूत/पता सबूत/स्वामित्व सबूत (कोई एक)



अंत्योदय सरल



- आधार कार्ड
 - पहचान पत्र
 - पासपोर्ट
 - चालान अनुज्ञप्ति
 - अधिवास प्रमाण-पत्र
4. फोटोग्राफ
 5. 10वीं/10+2 व अन्य कक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रति।
 6. पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
 8. शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र।
 9. वर्तमान स्कूल का आई0 कार्ड की प्रति।

सेवा के लिए फीसें

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केंद्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	₹0 10/-	₹0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा: 45 दिन